वर्ष	राजस्थान में भारत पाक सीमा पर	भारत-पाक सीमा पर
1995	850	1342
1996	646	1161
1997 (अक्तूबर तक)	95	1101

सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकडे गए घुसपैठियों को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु राज्य पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।

(ग) राजस्थान में बाड़ लगे इलाके में घुसपैठें बहुत कम होती है जो कि कभी-कभी सीमा बाड़ के नीचे से रेत हटा कर की जाती है। भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) सीमा चौकियों के बीच अन्तर कम करने के लिए विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं तथा तैनात की गई है।

(2) गश्त/नाकाओं को बढ़ा/गहन कर दिया गया है।

(3) जीप और मोटर साईकिलें उपलब्ध करवा कर सीमा गश्त गहन कर दी गई हैं।

(4) घोड़ों, ऊंटों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर गश्त लगाई जा रही है।

(5) निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(6) सीमा पर बेहतर सतर्कता रखने के लिए दूरबीनें, धूप के चश्में ट्रिवन टैलिस्कोप पी०एन०वी० दूरबीनें तथा हैण्ड-हैल्ड सर्च लाईटस उपलब्ध कराई कई है।

(7) सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है/की जा रही है।

(8) नदी-तटीय इलाकों में गश्त लगाने के लिए नावें/मोटर बोट्स उपलब्ध कराई गई हैं/ जा रही हैं।

(9) वाहनों द्वारा गश्त लगाने के लिए सीमा सड़कों/ट्रकों का निर्माण विकास किया जा रहा है।

(10) हवाई निगरानी रखने के लिए हैलीकाप्टरों का प्रयोग किया जा रहा है।

राजस्थान में बंगलादेशी नागरिकों का अवैध रूप से रहना

59. **श्री ओंकर सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेशी नागरिक राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे हैं: यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के निकटवर्ती क्षेत्रों में बंगलादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें निर्वासित करने की सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की जा रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि बंगलादेशी नागरिक जो पिछले कई वर्षों से एक मस्जिद में मौलवी का कार्य कर रहा था को अजमेर में गिरफ्तार किया गया, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अलग उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण

60. **श्री अजीत जोगी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अलग उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस मामले पर चर्चा करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है?